निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 भाद्र 1933 (श0)

(सं0 पटना 488) पटना, वृहस्पतिवार, 1 सितम्बर 2011

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचनाएं

29 अगस्त 2011

एस0ओ0 243, दिनांक 1 सितम्बर 2011—बिहार होटल विलास वस्तु कर अधिनियम, 1988 (बिहार अधिनियम 5, 1988) की धारा–20 की उप–धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल, बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली, 1988 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

संशोधन

1. बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली 1988 के नियम 1 में संशोधन।– बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली के नियम 1 का उप–नियम(1) में प्रयुक्त शब्द ''होटल में'' को विलोपित किये जाएंगे।

2. बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली 1988 के नियम 2 में संशोधन।– बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली के नियम 2 के उप–नियम(1) में प्रयुक्त शब्द ''होटल में'' को विलोपित किये जाएंगे।

3. बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली के नियम 3 में संशोधन।– (1) बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली के नियम 3 के उप–नियम(1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा–

''(1) (क) प्रत्येक होटल या व्यवसायिक हॉल के निबंधन के लिए उनके स्वत्वधारी द्वारा धारा 5 के अधीन निबंधन हेतु आवेदन, वाणिज्य–कर उपायुक्त/सहायक आयुक्त/ वाणिज्य–कर पदाधिकारी, अंचल प्रभारी को प्रपत्र LT-I में प्रत्येक होटल या व्यवसायिक हॉल के लिए अलग–अलग दिया जायेगा। ऐसा आवेदन वैयक्तिक मामले में, होटल अथवा व्यवसायिक हॉल के पूर्ण स्वामित्व वाले व्यक्ति द्वारा अथवा अविभक्त हिन्दु परिवार के मामले में, परिवार के कर्त्ता द्वारा अथवा किसी विधि के अधीन निगमित अथवा गठित कम्पनी के मामले में अथवा किसी सोसायटी, क्लब अथवा व्यक्ति समूह अथवा किसी सरकारी विभाग अथवा स्थानीय प्राधिकार के मामले में, प्रधान कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा और ऐसा आवेदन होटल या व्यवसायिक हॉल के प्रारंभ होने की तिथि से सात दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा:

परन्तु यह कि बिहार वित्त अधिनियम 2011 (बिहार अधिनियम 3, 2011) के प्रवृत होने से पहले व्यवसायिक हॉल प्रारंभ करने की स्थिति में ऐसे निबंधन हेतु आवेदन बिहार वित्त अधिनियम 2011 के प्रवृत्त होने के 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) ऐसे आवेदन अंचल के काउन्टर पर जमा किये जाएगें। काउन्टर के प्रभारी यह सुनिश्चित करने के उपरान्त कि आवेदन के सभी कॉलम भरे हुए, हस्ताक्षरित एवं सत्यापित हैं–

(i) आवेदन की बावत एक प्राप्ति रसीद निर्गत करेगें, और

(ii) कम्प्यूटर में संधारित पंजी में आवेदन से संबंधित विवरण दर्ज करेगें:

परन्तु संगत प्राधिकारी ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगा जो वह उचित समझे।

(2) बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली 1988 के नियम 3 के उप–नियम (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः–

''2 (क) निबंधन के लिए आवेदन की प्राप्ति पर अंचल का प्रभारी/अधिकारी एक करदाता पहचान–पत्र संख्या का निर्माण करेगा और उस आवेदक को संसूचित करेगा।

(ख) खंड (क) के अधीन करदाता पहचान पत्र के निर्माण होने पर उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, आवेदक द्वारा दी गयी विशिष्टियों के सत्यापन करेंगे या सत्यापन करवायेंगे और सत्यापन के बाद उसे प्रपत्र LT-II में निबंधन प्रमाण–पत्र, एक समय सीमा के भीतर, जो सामान्यतः उक्त आवेदन प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों से अधिक नहीं होगी, देंगे।''

(3) बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली के नियम 3 के उप–नियम (3) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः–

''(3)(क) उप–नियम(1) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, सम्यक् रूप से कर–भुगतान सुनिश्चित करने के निमित्त, निबंधन प्रमाण–पत्र देने से पहले, स्वत्वधारी से वैसी प्रतिभूति की, उस रीति से, जिसे वह उचित समझे, अपेक्षा कर सकेगा। लेकिन वह प्रतिभूति कर की राशि से अधिक नहीं होगी, जो एक वर्ष के लिए भुगतेय हो।

(ख) दी जाने वाली वांछित प्रतिभूति निम्नलिखित रीति में से किसी एक रीति से दी जा सकेगीः–

(i) कोषागार में जमा नगद राशि;

(ii) डाकघर बचत खाता अथवा सरकारी प्रतिभूति खाता अथवा संबंधित अंचल प्रभारी के पास में गिरवी रखी प्रतिभूति;

(iii) राज्य सरकार द्वारा माँग किये जाने पर भुगतान की सहमति प्रदान करते हुए अनुसूचित बैंकों से निर्गत बैंक गारंटी।''

(4) बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली 1988 के नियम 3 के उप–नियम(4) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः–

''(4) यदि स्वामित्व, नाम या प्रवृति या आवासीय सुविधा की प्रकृति या कमरे या हॉल की संख्या या यथास्थिति, प्रवास के लिए चार्ज या होटल के व्यवसायिक हॉल के लिए चार्ज में किसी प्रकार का परिवर्तन हो, तो स्वत्वधारी तुरंत उप–नियम(2) के अधीन निर्गत निबंधन प्रमाण–पत्र में आवश्यक संशोधन के लिए मूल निबंधन प्रमाण–पत्र के साथ अंचल के प्रभारी अधिकारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करेगा, जो, स्वयं जांच–पड़ताल कर या करवाकर, जैसा वह उचित समझे एवं इस संबंध में पूर्ण रूप से समाधान हो जाने पर, निबंधन प्रमाण–पत्र को तदनुसार संशोधित करेगा।''

(5) बिहार विलास वस्तु कराधान नियमावली 1988 के नियम 3 के उप–नियम (6) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः–

''(6) यदि कोई स्वत्वधारी अपने यथास्थिति, होटल या व्यवसायिक हॉल, को स्थायी रूप से बंद करता है अथवा उसका दायित्व यथास्थिति होटल या व्यवसायिक हॉल के विक्रय या पूरे, स्वामित्व के अंतरण के चलते अथवा अन्यथा समाप्त हो जाता है तो वह स्वत्वधारी अपना निबंधण प्रमाण–पत्र उप–नियम (1) में विहित प्राधिकारी को रद्दीकरण हेतु अभ्यर्पित करेगा। उक्त प्राधिकारी रद्दीकरण के आधारों के बारे में सत्यापन या जाँच–पड़ताल के उपरांत, यदि उसका इस सम्बन्ध में समाधान हो जाता है, तो प्रमाण–पत्र को रद्द कर देगा और प्रतिभूति की राशि को विमुक्त कर देगा। लेकिन यदि कर के बारे में कोई बकाया शास्ति हो तो प्रतिभूति की राशि पहले उस बकाया राशि से सामंजित होगी और अतिशेश, यदि कुछ हो, तो उसे विमुक्त कर दिया जायेगा।''

(6) बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली 1988 के उप–नियम (6) के बाद निम्नलिखित नये उप–नियम (7) एवं उप–नियम (8) जोड़े जाएंगे, यथाः–

''(7)(क) उप–नियम(1) से उप–नियम(7) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, वैसे होटलों अथवा व्यवसायिक हॉलों को जो वैसे क्षेत्र या अंचल के क्षेत्राधिकार में अवस्थित हों जिसे आयुक्त, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, निबंधन के लिए आवेदन उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) वैसे सभी आवेदन, जो खंड (क) के अधीन दिये गये हों, वे खंड (क) के अधीन निर्गत अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से निपटाये जायेंगे।

(8) (क) उप–नियम(1) से उप–नियम (7) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, इलेक्ट्रॉनिक रीति से विभागीय बेवसाईट पर निबंधन के लिए दिया गया आवेदन, उस प्राधिकारी को दिया जायेगा जो इस निमित्त आयुक्त द्वारा निर्गत अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय।''

4. बिहार विलास वस्तु कराधान नियमावली 1988 के नियम 4 का प्रतिस्थापन।–बिहार विलास वस्तु कराधान नियमावली 1988 के नियम 4 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः–

''4. विवरणी– (1)(क) धारा–6 के अधीन स्वत्वधारी द्वारा भेजी की जाने वाली अपेक्षित विवरणी प्रपत्र LT-III में होगी और नियम 3 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के काउन्टर पर एतद् पश्चात उपबंधित रीति से जमा की जायेगी–

(ख) प्रत्येक स्वत्वधारी, जिनके द्वारा एक त्रैमास का भुगतेय कर एक लाख रू० से अधिक हो जाता है, विहित प्राधिकारी के समक्ष, लॉजिंग एवं व्यवसायिक हॉल के लिए, त्रैमास के दौरान प्राप्त या प्राप्त होने योग्य चार्जों की प्राप्ति से, संबंधित समस्त संव्यवहारों के संबंध में एक सत्य एवं पूर्ण विवरणी प्रपत्र LT-III में, दाखिल करेंगें। ऐसी विवरणी, उस तिमाही के अंत में जिससे उसका संबंध हो, के आगामी माह के पहले या अंत तक प्रस्तुत करेंगे।

(ग) प्रत्येक स्वत्वधारी, जिनपर खंड (ख) लागू नहीं होता, विहित प्राधिकारी के समक्ष लॉजिंग एवं व्यवसायिक हॉल के लिए चार्ज के रूप में एक वर्ष के दौरान प्राप्त या प्राप्त होने योग्य चार्जो की प्राप्ति से संबंधित समस्त संव्यवहारों के संबंध में एक सत्य एवं पूर्ण विवरणी प्रपत्र LT-III A में प्रस्तुत करेगें। ऐसी विवरणी, जिस वर्ष से संबंधित हो उसके अंत होने के बाद अगले दो महीने के पहले या अन्त तक प्रस्तुत करेंगे।

(घ) खंड (ख) एवं खंड (ग) में किसी बात के अंतर्विष्ट रहते हुए भी, अधिसूचना द्वारा आयुक्त–

(i) किसी स्वत्वधारी, अथवा स्वत्वधारी के किसी वर्ग या विवरण से विभागीय वेवसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक रीति से प्रपत्र LT-III/LTIIIA में विवरणी प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा कर सकेगें एवं

(ii) विषेष परिस्थितियों में, लिखित रूप में अभिलिखित किये जानेवाले कारणों से ईलेक्ट्रोनिक रीति से विवरणियों को प्रस्तुत करने की तिथि को विस्तारित कर सकेगें।

(2) यदि कोई स्वत्वधारी, उप–नियम (2) के अधीन विवरणी दाखिल करने के बाद, उसमें कोई लोप अथवा गलती पाता है, तो उक्त विवरणी उस तिथि से, जिस तिथि को देय थी तीन माहों की कालावधि की समाप्ति के पूर्व पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा।

परन्तु ऐसी कोई भी पुनरीक्षित विवरणी विचारणीय नहीं होगी यदि सूचना प्राप्त होने पर या अन्यथा, लिखित रूप में अभिलिखित किये जानेवाले से विहित प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि मूल रूप से प्रस्तुत विवरणी जानबूझ कर अथवा वह राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली राजस्व के वंचना की मंशा से की गई थी।''

5. बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली 1988 के नियम 5 का संशोधन।–(1) नियम (5) के अन्त का पूर्ण विराम, :कोलन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(2) नियम (5) के अन्त में प्रतिस्थापित :कोलन के बाद निम्नलिखित ''परन्तुक'' जोड़ा जायेगा, यथा–

''परन्तु आयुक्त, अधिसूचना द्वारा स्वत्वधारी के किसी वर्ग या वर्णन से, कर एवं शास्ति के इलेक्ट्रोनिक रीति से भुगतान, विभागीय वेवसाईट के माध्यम से, किये जाने की अपेक्षा कर सकेगा''

6. बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली, 1988 के नियम 6 का प्रतिस्थापन।–बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली, 1988 के नियम 6 निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

''6 लेखा का संधारण एवं विपत्र या कैशमेमों का निर्गमन।–

(1) होटल का प्रत्येक स्वत्वधारी सही एवं पूर्ण लेखा का संधारण निम्नलिखित को प्रकट करने के लिए करगेंः–

(क) उनके होटल के कमरों एवं व्यवसायिक हॉलों के प्रकार एवं संख्या तथा कमरों में ठहरने एवं व्यवसायिक हॉल के लिए चार्जों से संबंधित जानकारी;

(ख) कमरों एवं व्यवसायिक हॉल के अधिभोग एवं कमरों में ठहरने एवं व्यवसायिक हॉल के लिए चार्ज के संग्रहण तथा कर का दैनिक लेखा।

(2) व्यवसायिक हॉल के प्रत्येक स्वत्वधारी सही एवं पूर्ण लेखा का संधारण निम्नलिखित को प्रकट करने हेतु करेगें,

(क) व्यवसायिक हॉल के प्रकार एवं संख्या एवं उसके लिए चार्ज से संबंधित जानकारी;

(ख) व्यवसायिक हॉल के अधिभोग एवं व्यवसायिक हॉल के लिए चार्जों का संग्रहण एवं कर का दैनिक लेखा।

(3) स्वत्वधारी लेखा उप–नियम (1) एवं उप–नियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित एक जिल्दबंद पंजी में रखेंगे जो प्रपत्र LT-X में होगा और संबंधित अंचल के प्रभारी/अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जायेगा।

(4) स्वत्वधारी कमरे में ठहरने एवं व्यवसायिक हॉल के लिए उनके द्वारा व्यक्ति से वसूल की गई चार्ज के लिए विपत्र अथवा कैश–मेमो निर्गत करेगा और ऐसे बिल अथवा कैश–मेमो में निम्नलिखित को पृथक रूप से दर्शित करेगाः–

(क) यथा स्थिति होटल अथवा व्यवसायिक हॉल का नाम और उसका पूरा पता;

(ख) यथा स्थिति होटल अथवा व्यवसायिक हॉल की करदाता पहचान संख्या;

(ग) अधिभोक्ता का नाम एवं पता;

(घ) कमरा संख्या अथवा व्यवसायिक हॉल का नाम;

(ड़) अधिभोगी की कालावधि;

(च) ठहरने के लिए चार्ज अथवा व्यवसायिक हॉल के लिए चार्ज की राशि;

(छ) वसूल की गई कर की राशि;

7. बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली, 1988 के साथ संलग्न प्रपत्र LT-I का प्रतिस्थापन।–बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली, 1988 के साथ संलग्न प्रपत्र LT-I निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा;–

"प्रपत्र LT-I

[देखें नियम 3 (1)]

बिहार विलासिता कर अधिनियम, 1988 की धारा 5 के अंतर्गत निबंधन प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन

सेवा में,

.....

.....

..... अंचल।

मैं ..... (पूरा नाम), पुत्र श्री ..... (पूरा नाम) बिहार विलास वस्तु कर अधिनियम, 1988 की धारा 5 के अंतर्गत निबंधन प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन करता हूँ, जिसके संदर्भ में विवरण निम्नलिखित है:–

1. (क) होटल का नाम –
   (ख) व्यवसायिक हॉल का नाम –
2. होटल/व्यवसायिक हॉल या हॉलों का पता एवं लोकेशन –
   (क) होल्डिंग संख्या –
   (ख) वार्ड संख्या –
   (ग) मुहल्ला –
   (घ) थाना –
   (च) जिला –
   (छ) पिन कोड –
   (ज) प्रखण्ड –
   (झ) दूरभाष/मोबाईल नं० –
   (ट) फैक्स संख्या –
   (ठ) ई–मेल –
3. स्वत्वधारी की स्थिति (वैयक्तिक/अविभक्त हिन्दु परिवार/फर्म/कंपनी/सोसाइटी /क्लब/समूह/सरकारी विभाग/निगम इत्यादि)
4. जमीन/होटल भवन/व्यवसायिक हॉल या हॉलों के स्वामी या पट्टाधारी का नाम एवं पूरा पता
5. वैसे व्यक्तियों का पूर्ण विवरण जिनका होटल/व्यवसायिक हॉल या हॉलों में हित सन्निहित हो :–

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	हितों का परिमाण एवं प्रकृति	कॉलम 2 में नामित व्यक्तियों का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

6. उन व्यक्तियों के अचल संपत्तियों का पूर्ण ब्योरा जिनका हित विलास वस्तु में समाहित हो–

नाम	संपति का विवरण	संपति की अवस्थिति खाता सं०,खेसरा सं० रोड/मुहल्ला, डाकघर, थाना, उपखंड,जिला	संपत्तियों में सन्निहित का अंश एव प्रकृति	वैसे अंश का प्राक्कलित मूल्य
1	2	3	4	5

7. आवासीय सुविधा का विवरण :–

कमरे का प्रकार	कमरे की संख्या	शय्या की संख्या	प्रतिदिन कमरा/सूट का प्रभार
एकल डबल कमरों का सूट अन्य			
कमरे एवं सूट की कुल संख्या			
(क) कमरा			
(ख) कमरों का सूट			

8. व्यवसायिक हॉल/हॉलों का विवरण :–

हॉल/हॉलों	

9. कर दायित्व की तिथि –

10. बैंक/बैंकों का नाम जिसके माध्यम से संव्यवहार संपन्न किये जाते हैं (खाता संख्या खाते की प्रकृति के साथ)–

11. पैन संख्या–

12. अन्य परिचयात्मक साक्ष्य–

13. किसी अन्य कानून के अंतर्गत निर्गत निबंधन/लाइसेंस/परमिट आदि (यदि आवश्यक हो तो अलग से सूची संलग्न करें)–

मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरे द्वारा दाखिल आवेदन में अंकित विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सत्य एवं पूर्ण हैं

स्थान *आवेदक का हस्ताक्षर

तिथि

* आवेदन स्वत्वधारी/कर्त्ता/प्रधान कार्यपालक पदाधिकारी के प्राधिकृत भागीदार के द्वारा हस्ताक्षरित किये जायेंगे।''

**** प्रमाण–पत्र**

मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि इस आवेदन में अंकित विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सत्य एवं पूर्ण हैं।

स्थान हस्ताक्षर

** यह प्रमाण–पत्र किसी अधिवक्ता या बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के किसी निबंधित व्यवसायी या किसी अन्य अधिनियम के अधीन निबंधित स्वत्वधारी द्वारा दिया जायेगा।''

8. बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली, 1988 के साथ संलग्न प्रपत्र LT-II का प्रतिस्थापन।–बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली, 1988 के साथ संलग्न प्रपत्र LT-II निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा–

''प्रपत्र LT-II

[देखें नियम 3 (2)]

बिहार विलासिता कर अधिनियम, 1988 की धारा–5 के अंतर्गत निबंधन प्रमाण–पत्र

कार्यालय ..... वाणिज्य–कर ..... अंचल

करदाता पहचान पत्र संख्या :–

वर्ष :–

यह प्रमाणित किया जाता है कि होटल/व्यवसायिक हॉल के स्वत्वधारी जिनका विवरण नीचे अंकित है, बिहार विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 की धारा–5 के अंतर्गत दिनांक .....को निबंधित किये गये हैं।

1. (क) होटल का नाम –

(ख) व्यवसायिक हॉल का नाम –

2. होटल/व्यवसायिक हॉल या हॉलों का पता एवं लोकेशन का नाम :–

(क) होल्डिंग संख्या –

(ख) वार्ड संख्या–

(ग) मुहल्ला –

(घ) थाना –

(च) जिला –

(छ) पिन कोड –

(ज) प्रखण्ड –

(झ) दूरभाष/मोबाईल नं० –

(ट) फैक्स संख्या –

(ठ) ई–मेल पता –

3. आवासीय का विवरण :–

कमरे का प्रकार	कमरे की संख्यां	शय्या की संख्या	प्रतिदिन कमरा/सूट का प्रभार
एकल डबल कमरों का सूट अन्य कमरे एवं कमरों का सूट की कुल संख्या			
(क) कमरा			
(ख) कमरों का सूट			

4. व्यवसायिक हॉल/हॉलों का विवरण :–

हॉल/हॉलों का नाम	प्रतिदिन की दर से व्यवसायिक हॉलों के लिये वसूलनीय प्रभार राशि

दिनांक .....
स्थान .....
मुहर .....''

निबंधन प्रदाता पदाधिकारी
का हस्ताक्षर एवं पदनाम

9. बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली 1988 के साथ संलग्न LT-III का प्रतिस्थापन।–बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली 1988 के साथ संलग्न प्रपत्र– LT-III निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा–

''**प्रपत्र LT-III**

[देखें नियम–4]

(बिहार विलासिता कर अधिनियम 1988 की धारा–6 के अन्तर्गत होटल/व्यवसायिक हॉल के स्वत्वधारी द्वारा देय कर की विवरणी)

1. करदाता पहचान संख्या–
2. होटल/व्यवसायिक हॉल का पता–
3. आवासीय किराया का विवरण–

क्र० सं०	विवरण	त्रैमास में प्रवास के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाले प्रभार का सकल योग	देयकर
1.	अधिभोग के लिये प्रतिदिन पाँच सौ रूपये से कम दर से वसूलनीय प्रभार		
2.	अधिभोग के लिये पाँच सौ रूपये या अधिक किन्तु एक हजार से कम वसूलनीय प्रभार		
3.	अधिभोग के लिये प्रतिदिन एक हजार रूपये से अधिक वसूलनीय प्रभार राशि		
4.	कुल–		

5. व्यवसायिक हॉल के लिये प्रभार का विवरण–

क्र० सं०	विवरण	त्रैमास में व्यवसायिक हॉल से प्राप्त/प्राप्त होनेवाले प्रभार राशि का सकल योग	देयकर
1.	अधिभोग के लिये प्रतिदिन पाँच सौ रूपये से कम की दर से वसूलनीय प्रभार राशि		

2.	अधिभोग के लिये प्रतिदिन पाँच सौ रूपये से अधिक की दर से वसूलनीय प्रभार राशि		
3.	कुल–		

5. सकल देय कर–

6. त्रैमास में वास्तविक भुगतान किये गये विलासिता कर का विवरण–

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि विवरणी में भरे गये तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास में पूर्ण एवं सत्य हैं।

हस्ताक्षर .....

दिनांक ..... स्वत्वधारी से संबंधित हैसियत

स्थान .....''

10. बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली 1988 में प्रपत्र– LT-III A का जोड़ा जाना–बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली 1988 में संलग्न प्रपत्र– LT-III के बाद निम्नलिखित नया प्रपत्र– LT-III A जोड़ा जायेगा, यथा–

''प्रपत्र LT-III A

[देंखें नियम–4]

बिहार विलास वस्तु कर अधिनियम 1988 की धारा–6 के अन्तर्गत होटल/व्यवसायिक हॉल के द्वारा देय कर के लिये दाखिल की जाने वाली विवरणी

वर्ष ..... की समाप्ति पर वार्षिक विवरणी

1. करदाता पहचान संख्या
2. होटल/व्यवसायिक हॉल का नाम एवं पता
3. अधिभोग के लिये प्रभार का विवरण

क्र० सं०	विवरण	त्रैमास में अधिवास के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाले प्रभार का सकल योग	देयकर
1.	अधिभोग के लिये प्रतिदिन पाँच सौ रूपये से कम की दर से वसूलनीय प्रभार राशि		
2.	अधिभोग के लिये प्रतिदिन पाँच सौ रूपये या अधिक किन्तु एक हजार से कम की दर से वसूलनीय प्रभार राशि		
3.	अधिभोग के लिये प्रतिदिन एक हजार रूपये से अधिक की दर से वसूलनीय प्रभार राशि		
4.	कुल–		

5. कुल देय कर–

6. त्रैमास के लिये वास्तविक रूप से भुगतान किये गये विलासिता कर का विवरण–

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि दाखिल विवरणी में अंकित तथ्य, मेरी जानकारी एवं विश्वास में पूर्ण एवं सत्य हैं।

हस्ताक्षर .....

दिनांक ..... स्वत्वधारी से संबंधित हैसियत

स्थान .....''

11. बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली 1988 में संलग्न प्रपत्र LT-V में संशोधन–(1) बिहार होटल वस्तु कराधान नियमावली 1988 के साथ संलग्न प्रपत्र– LT-V में प्रयुक्त शब्द एवं अंक ''बिहार होटल विलास वस्तु कर नियमावली 1988'', शब्द एवं अंक ''बिहार विलास वस्तु कराधान नियमावली 1988'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएँगें।

(2) बिहार होटल वस्तु कराधान नियमावली 1988 के साथ संलग्न प्रपत्र LT-V में प्रयुक्त शब्द एवं अंक ''बिहार होटल विलास वस्तु कर नियमावली 1988'', शब्द एवं अंक ''बिहार विलास वस्तु कराधान नियमावली 1988'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएँगें।

12. बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली 1988 के साथ संलग्न प्रपत्र LT-VI में संशोधन।– बिहार होटल वस्तु कराधान नियमावली 1988 के साथ संलग्न प्रपत्र– LT-VI में प्रयुक्त शब्द एवं अंक

''बिहार होटल विलास वस्तु कर नियमावली 1988'', शब्द एवं अंक ''बिहार विलास वस्तु कराधान नियमावली 1988'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएँगें।

13. बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली 1988 के साथ संलग्न प्रपत्र LT-VII में संशोधन।– बिहार होटल वस्तु कराधान नियमावली 1988 के साथ संलग्न प्रपत्र– LT-VII में प्रयुक्त शब्द एवं अंक ''बिहार होटल विलास वस्तु कर नियमावली 1988'', शब्द एवं अंक ''बिहार विलास वस्तु कराधान नियमावली 1988'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएँगें।

14. बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली 1988 के साथ संलग्न प्रपत्र LT-VIII में संशोधन।– बिहार होटल वस्तु कराधान नियमावली 1988 के साथ संलग्न प्रपत्र– LT-VIII में प्रयुक्त शब्द एवं अंक ''बिहार होटल विलास वस्तु कर नियमावली 1988'', शब्द एवं अंक ''बिहार विलास वस्तु कराधान नियमावली 1988'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएँगें।

15. बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली 1988 के साथ संलग्न प्रपत्र LT-IX में संशोधन।– बिहार होटल वस्तु कराधान नियमावली 1988 के साथ संलग्न प्रपत्र– LT-IX में प्रयुक्त शब्द एवं अंक ''बिहार होटल विलास वस्तु कर नियमावली 1988'', शब्द एवं अंक ''बिहार विलास वस्तु कराधान नियमावली 1988'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएँगें।

16. बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली 1988 के साथ संलग्न प्रपत्र LT-X में संशोधन।– बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली 1988 के साथ संलग्न प्रपत्र LT-X में जहाँ–जहाँ शब्द ''कमरा'' प्रयुक्त हैं वे शब्द ''कमरा या व्यवसायिक हॉल'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

2. यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[सं0 बिक्री कर/अन्य कर–03/2011—3672(अनु0)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजित पुनहानी,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

29 अगस्त 2011

एस0ओ0 244, एस0ओ0 243, दिनांक 1 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं0 बिक्री कर/अन्य कर–03/2011—3672(अनु0)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजित पुनहानी,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 29th August 2011

S.O. 243, dated 1st September 2011— In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 20 of the Bihar Taxation on Luxuries Act, 1988 (Bihar Act 5 of 1988), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments to the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988:—

Amendments

1. *Amendment in rule 1 of the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988.*—. The words "in Hotels" used in sub-rule (*1*) of Rule 1 of the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988 shall be deleted.

2. *Amendment in rule 2 of the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988.*—. The words "in Hotels" used in sub-rule (*1*) of Rule 2 of the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988 shall be deleted.

3. *Amendment in rule 3 of the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988.*— (*1*) Sub-rule (*1*) of Rule 3 of the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988 shall be substituted by the following, namely—

"(*1*)(a) An application for registration under Section 5 shall be made in Form LT-I, separately in respect of every hotel or commercial hall, by the proprietor to the Deputy Commissioner/Assistant Commissioner/Commercial Taxes Officer Incharge of a Circle. Such an application shall be signed in case of an individual, by the person having sole proprietary rights on the hotel or commercial hall, or in the case of a Hindu Undivided

Family by the Karta of the Hindu Undivided family or in case of a Company incorporated or constituted under any law or in case of a Society, Club or Association of persons or a Department of Government or Local Authority, by the Principal Executive Officer thereof and such application shall be made within a period of seven days of the commencement of business by the hotel or, as the case may be, the commencement of operations by the commercial hall:

Provided that such an application for registration by a commercial hall commencing business before the coming into force of Bihar Finance Act, 2011 (Bihar Act 3 of 2011) shall be made within a period of ninety days of the coming into force of Bihar Finance Act, 2011.

(*b*) Such application shall be submitted at the counter of the Circle. The Incharge of the counter, after ascertaining that all the columns of the application have been properly filled in signed and verified shall—

(*i*) grant the person a receipt in lieu thereof, and

(*ii*) enter the particulars thereof in the register maintained in the computer:

Provided that the said authority may require the dealer to furnish such information as may be deemed fit."

(*2*) Sub-rule (*2*) of Rule 3 of the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988 shall be substituted by the following, namely—

"2(a) On receipt of an application for registration the Officer-in-charge of the circle shall generate a Taxpayer Identification Number and communicate the same to the applicant.

(b) Upon generation of the Taxpayer Identification Number under clause (a) the authority specified in sub-rule (1) shall verify or cause to be verified the particulars furnished by the applicant and, after such verification, grant him a registration certificate in Form LT-II within a period ordinarily not exceeding thirty days from the date of receipt of the said application."

(*3*) Sub-rule (*3*) of Rule 3 of the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988 shall be substituted by the following, namely—

"(*3*)(a) In order to ensure proper payment of tax the authority specified in sub-rule (*1*) may, before granting the certificate of registration, require a proprietor to furnish such security and in such manner as he may consider fit. But such security shall not be more than the amount of tax which may be payable for a year.

(b) The security required to be furnished may be in either of the following manner:—

(i) Cash deposit in the Government Treasury; or

(ii) Post Office Saving Bank Account or Government securities account or the securities being pledged to the incharge of the Circle concerned; or

(iii) Bank Guarantee from a Scheduled Bank agreeing to pay to the State Government on demand the amount of security."

(*4*) Sub-rule (*4*) of Rule 3 of the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988 shall be substituted by the following, namely—

"(*4*) If there is any change in the ownership, name or style, or the nature of accommodation or the number of rooms or halls or the lodging charges or charges for commercial hall of the hotel or, as the case may be, the commercial hall, the proprietor shall forthwith submit an application for necessary amendment in the certificate of registration issued under sub-rule (2) along with the said certificate to the Officer-in-charge of the Circle who after making or causing to be made such enquiry, as he deems

fit, and after being satisfied completely in this regard shall amend the certificate of registration accordingly."

(*5*) Sub-rule (6) of Rule 3 of the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988 shall be substituted by the following, namely—

"(*6*) If any proprietor permanently closes his hotel or the commercial hall as the case may be, or his liability ceases on account of sale or entire transfer of ownership of his hotel or, his commercial hall, as the case may be, or otherwise, such proprietor shall surrender his certificate of registration to the authority specified in sub-rule (1) for cancellation. The said authority, after verification or enquiry about the basis of cancellation, shall cancel the certificate if he is satisfied in this regard and the amount of security shall be released. But if there is any outstanding dues on account of tax or penalty, the amount of security shall be first adjusted towards payment of that dues and the balance, if any, shall be released."

(*6*) After sub-rule (*6*) of the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988, the following new sub-rule (*7*) and sub-rule (*8*) shall be added, namely—

"(*7*)(a) Notwithstanding anything contained in sub-rule (*1*) to sub-rule (*7*), the application for registration of such hotels or commercial halls as are situated within the jurisdiction of such areas or circles as the Commissioner may, by notification, specify, shall be made to such authority as may be specified in the said notification.

(b) Every application made under clause (a) shall be disposed of in such manner as may be specified in the notification issued under clause (a).

(*8*)(a) Notwithstanding anything contained in sub-rule (*1*) to sub-rule (*7*), an application for registration filed in electronic manner on the departmental website shall be made to such authority as may be specified in a notification to be issued by the Commissioner in this behalf.

(b) Every application made under clause (a) shall be disposed of in such manner as may be specified in the notification issued under clause (a)."

4. *Substitution of rule 4 of the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988.*— Rule 4 of the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988 shall be substituted by the following, namely:—

"4. Return.— (*1*)(a) The return required to be furnished by a proprietor under section 6 shall be in form LT-III and shall be furnished at the counter of the authority specified in rule 3 in the manner hereinafter provided.

(b) Every proprietor by whom the tax payable in respect of a quarter, exceeds the sum of one lac rupees shall furnish to the prescribed authority a true and complete return in form LT-III in respect of all transactions relating to receipt of charges for lodging and charges for commercial hall received or receivable by him during the quarter. Such return shall be filed on or before the end of the following month at the end of the quarter to which it relates.

(c) Every proprietor to whom clause (b) does not apply shall furnish to the prescribed authority a true and complete return in form LT-IIIA in respect of all transactions relating to receipt of charges for lodging and charges for commercial hall received or receivable by him during a year. Such return shall be filed before the end of two months following the end of the year to which it relates.

(d) Notwithstanding anything contained in clause (b) or clause (c), the Commissioner may, by notification—

(i) require any proprietor, or any class or description of proprietors, to furnish the return in form LT-III in electronic manner on the departmental website, and

(ii) for reasons to recorded in writing, extend the date of filing returns in electronic manner, in extraordinary situations.

(*2*) If a proprietor, after furnishing a return under sub-rule (*2*), discovers any omission or wrong statement therein, he may furnish a revised return at any time before the expiry of a period of three months from the date on which the said return was due:

Provided that no such revised return shall be taken into consideration if, upon information or otherwise and for reasons to recorded in writing, the prescribed authority is satisfied that the return originally furnished was deliberately false or that it was furnished with intent to defraud the State Government of its revenue."

5. *Amendment in rule 5 of the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988.*— (*1*) The full stop at the end of rule 5 shall be substituted by a colon.

(*2*) After the colon thus substituted in rule5 the following proviso shall be inserted, namely—

"Provided that the Commissioner may, by notification, require any class or description of proprietors to pay the tax or penalty in electronic manner through the departmental website."

6. *Substitution of rule 6 of the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988.*— Rule 6 of the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988 shall be substituted by the following, namely—

"6. *Maintenance of accounts and issue of bills or cash memorandum.* — (*1*) Every proprietor of a hotel shall maintain a correct and complete account so as to disclose—

(a) information relating to types and number of rooms and commercial halls and charges for lodging and charges for commercial hall therefor in his hotel;

(b) daily account of occupation of rooms and commercial hall and collection of charges for lodging and charges for commercial hall and tax.

(*2*) Every proprietor of a commercial hall shall maintain a correct and complete account so as to disclose—

(a) information relating to types and number of commercial halls and charges therefor in his hotel;

(b) daily account of occupation of commercial halls and collection of charges for commercial hall and tax.

(3) The proprietor shall keep the account as required by sub-rule (*1*) and sub-rule (*2*) in a bound register which shall be in Form LT-X and shall be authenticated by the Officer-in-charge of the Circle concerned.

(4) The proprietor shall also issue a bill or cash memo in respect of the charges for lodging or charges for commercial halls recovered by him from a person and shall separately show in such a bill or cash memo—

(a) the full name of the hotel or commercial hall, as the case may be, and its complete address;

(b) the Taxpayer Identification Number of the hotel or the commercial hall, as the case may be;

(c) the name of the occupant with address;

(d) the number of the room or name of the commercial hall, if any;

(e) the period of occupancy;

(f) the amount of charges for lodging or charges for commercial hall; and

(g) the amount of tax recovered."

7. *Substitution of Form LT-I appended to the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988.*— Form LT-I appended to the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988 shall be substituted by the following, namely—

"FORM L.T.-I

[See Rule 3 (1)]

Application for registration certificate under section 5 of the Bihar Taxation on Luxuries Act, 1988.

To,

The ……..

Circle,

I……(full name), son of Sri……(full name) hereby apply for the grant of a registration certificate under section 5 of the Bihar Taxation on Luxuries Act, 1988 and furnish the following particulars for that purpose :-

1.(a) Name of the Hotel:

(b) Name of the Commercial Hall/Halls:

2. Address and location of the Hotel and/ or Commercial Hall/Halls:

(a) Holding No.

(b) Ward.

(c) Mohalla.

(d) P.S.

(e) District.

(f) PIN Code.

(g) Block.

(h) Phone/Mobile No.

(i) Fax No.

(j) E-mail id.

3. Status of the proprietor (Whether individual/ HUF/Firm/ Company/Society/Club/Association/ Government department/Corporation etc.)

4. Name and full address of the owner or lease holder of the land and, building of the Hotel/Commercial Hall or Halls.

5. Particulars of all persons having interest in the Hotel/Commercial Hall or Halls–

Sl. no.	Name	Father's or husband's name	Permanent Address	Nature and extent of interest	Signature of the persons named in column 2.
1	2	3	4	5	6

6. Particulars of all immovable properties owned by all persons having interest in the luxuries –

Name of the person having interest.	Description of properties owned.	Location of properties. (Khata No., Khesra No., Road/Mohalla, Post office, Police Station, Subdivision, District.	Nature and extent of interest held in the property.	Estimated value of such interest.

7. Details of accommodation—

Type of Room.	Number of rooms.	No. of beds.	Charges of lodging per room/suite per day.
Single			
Double			
Suite of rooms			
Others			
Grand Total of rooms and suites			
(a) Rooms			
(b) Suites			

8. Details of Commercial Hall/Halls—

Name of the Hall/Halls, if any	Rate of Charges for Commercial Hall per day.

9. Date of liability

10. Name of bank/banks through which transactions are carried out with account number and nature of accounts—

11. PAN

12. Any other identity proof with number

13. Particular relating to registration, license, permit etc. granted under any other law (Attach list separately, if necessary)

I do hereby declare that the particulars furnished in this application are correct and complete to the best of my knowledge and belief.

Place ……………………………… *Signature of the applicant …………………………………..

Date ……………………………… Status ………………………………………………………………….

*The application shall be signed by the proprietor/Karta/Authorized Partner of Principal Executive Officer.

****CERTIFICATE**

I do hereby declare that the particulars furnished in this application are correct and complete to the best of my knowledge and belief.

Place Signature

**The certificate shall be given either by a legal practitioner or by a dealer registered under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 or a registered proprietor under the Act."

8. Substitution of Form LT-II appended to the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988.— Form LT-II appended to the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988 shall be substituted by the following, namely—

"FORM L.T.-II

[See Rule 3 (2)]

Certificate of registration under section 5 of the Bihar Taxation on Luxuries Act, 1988.

Office of the..... of Commercial Taxes, …… Circle

Taxpayer Identification Number:

Year

This is to certify that the proprietor of the hotel/commercial hall whose particulars are detailed below has been registered under section 5 of the Bihar Taxation on Luxuries Act, 1988 on the …20.

1.(a) Name of the Hotel:

(b) Name of the Commercial Hall/Halls:

2. Address and location of the Hotel and/ or Commercial Hall/Halls:

(a) Holding No.

(b) Ward.

(c) Mohalla.

(d) P.S.

(e) District.

(f) PIN Code.

(g) Block.

(h) Phone/Mobile No.

(i) Fax No.

(j) E-mail id.

3. Details of accommodation—

Type of Room.	Number of rooms.	No. of beds.	Charges of lodging per room/suite per day.
Single			
Double			
Suite of rooms			
Others			
Grand Total of rooms and suites			
(a) Rooms			
(b) Suites			

4. Details of Commercial Hall/Halls—

Name of the Hall/Halls, if any	Rate of Charges for Commercial Hall per day.

Date— Signature of Registration Authority
Place— Designation
Seal—"

9. *Substitution of Form LT-III appended to the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988.*— Form LT-III appended to the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988 shall be substituted by the following, namely—

"FORM L.T.-III

(See Rule 4)

(Return of tax payable by the proprietor of a hotel/commercial hall under section 6 of the Bihar Taxation on Luxuries Act, 1988.)

Quarterly return for the quarter ending on ……

1. Taxpayer Identification Number.
2. Name and address of the Hotel/ Commercial hall:
3. Details of charges for lodging:

Sl. No.	Particulars	Aggregate of charges for lodging received or receivable during the quarter	Tax Payable
1	In respect of occupancy chargeable at less than five hundred rupees per day:		
2	In respect of occupancy chargeable at five hundred rupees or more per day but at less than one thousand rupee per day:		
3	In respect of occupancy chargeable at more than one thousand rupee per day:		
4	Total		

4. Details of charges for Commercial hall:

Sl. No.	Particulars	Aggregate of charges for commercial hall received or receivable during the quarter	Tax Payable
1	In respect of occupancy chargeable at less than five hundred rupees per day:		
2	In respect of occupancy chargeable at five hundred rupee per day or more:		
3	Total		

5. Total tax payable:
6. Details of luxury tax actually paid for the quarter:

I do hereby declare that the particulars furnished in the return are correct and complete to the best of my knowledge and belief.

Signature

Place—

Date— Status in relation to the proprietor"

10. *Addition of Form LT-IIIA in the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988.*— After Form LT-III appended to the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988 the following new Form LT-IIIA shall be added, namely—

"FORM L.T.-IIIA

(See Rule 4)

(Return of tax payable by the proprietor of a hotel/commercial hall under section 6 of the Bihar Taxation on Luxuries Act, 1988.)

Annual return for the year ending on ……

1. Taxpayer Identification Number.

2. Name and address of the Hotel/ Commercial hall:

3. Details of charges for lodging:

Sl. No.	Particulars	Aggregate of charges for lodging received or receivable during the quarter	Tax Payable
1	In respect of occupancy chargeable at less than five hundred rupees per day:		
2	In respect of occupancy chargeable at five hundred rupees or more per day but at less than one thousand rupee per day:		
3	In respect of occupancy chargeable at more than one thousand rupee per day:		
4	Total		

4. Details of charges for Commercial hall:

Sl. No.	Particulars	Aggregate of charges for commercial hall received or receivable during the quarter	Tax Payable
1	In respect of occupancy chargeable at less than five hundred rupees per day:		
2	In respect of occupancy chargeable at five hundred rupee per day or more:		
3	Total		

5. Total tax payable:

6. Details of luxury tax actually paid for the quarter:

I do hereby declare that the particulars furnished in the return are correct and complete to the best of my knowledge and belief.

Signature

Place—

Date— Status in relation to the proprietor"

11 Amendment in Form LT-V appended to the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988.— (*1*) The words and figures "Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988" used in Form LT-V appended to the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988 shall be substituted by the words and figures "Bihar Taxation on Luxuries Rules, 1988".

(*2*) The words and figures "Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988" used in Form LT-V appended to the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988 shall be substituted by the words and figures "Bihar Taxation on Luxuries Act, 1988".

12 Amendment in Form LT-VI appended to the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988.— The words and figures "Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988" used in Form LT-VI appended to the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988 shall be substituted by the words and figures "Bihar Taxation on Luxuries Act, 1988".

13 Amendment in Form LT-VII appended to the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988.— The words and figures "Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988" used in Form LT-VII appended to the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988 shall be substituted by the words and figures "Bihar Taxation on Luxuries Act, 1988".

14 Amendment in Form LT-VIII appended to the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988.— The words and figures "Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988" used in Form LT-VIII appended to the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988 shall be substituted by the words and figures "Bihar Taxation on Luxuries Act, 1988".

15 Amendment in Form LT-IX appended to the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988.— The words and figures "Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988" used in Form LT-IX appended to the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988 shall be substituted by the words and figures "Bihar Taxation on Luxuries Rules, 1988".

16 Amendment in Form LT-X appended to the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988.— The word "room", wherever occurring in Form LT-X appended to the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988 shall be substituted by the words "room or commercial hall".

2. This notification shall come into force with effect from the date of its issue.

[No. Bikri Kar/Anya Kar-03/2011—3672(Anu.)]

By order of the Governor of Bihar,

RAJIT PUNHANI,

Commissioner-Cum-Secretary

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 488-571+1000-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in